

संख्या 27/17/2011-SRS  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली  
दिनांक : जनवरी, 2012

सेवा में,

23 JAN 2012

1. मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश सरकार  
लखनऊ
2. मुख्य सचिव  
उत्तराखंड सरकार,  
देहरादून

विषय: माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 207/2011 के अनुक्रम में श्री नन्दन सिंह के प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में याची, श्री नन्दन सिंह के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । श्री सिंह द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उनके उत्तर प्रदेश अंतिम आवंटन के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 207/2011 दायर किया है ।

2. प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि श्री नन्दन सिंह की नियुक्ति मंडलीय संवर्ग में हुई थी । अतः समिति द्वारा उनके प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने की संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री नन्दन सिंह का अंतिम आवंटन उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बना रहेगा । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

परिवहन विभाग

७८

भवदीय,  
A. J. S.  
(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय  
भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

विभाग-8-ए-नवीन  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  
Deptt. of Personnel & Training  
प्राप्ति और निष्पत्ति का प्रमाण  
Receipt & Issued Substn.  
23 JAN 2012  
जारी किया/ISSUED  
रु० .....